राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2)विभाग

क्रमांक–प. 3(1)कार्मिक/क–2/2013 जयपुर, दिनांक : 21.06.2017

1. समस्त अति० मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र

विषय–मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति के पश्चात ली जाने वाली टंकण परीक्षा, भाषा विभाग के स्थान पर जिला स्तर पर लिये जाने के संबंध में।

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के नियम–9 के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक अपेक्षा में तीन वर्ष के भीतर स्थायीकरण के लिए पात्र बनाने हेतु विहित प्रशिक्षण/विभागीय परीक्षा/कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा (अंग्रेजी/हिन्दी) उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। भाषा विभाग के परिपत्र दिनांक 03.07.2015 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 26.08.15 के द्वारा टंकण परीक्षा का आयोजन भाषा विभाग द्वारा केवल जयपुर में निम्नानुसार किया जा रहा है:—

क.सं.	आवेदन प्राप्त होने की अवधि	माह, जिसमें परीक्षा आयोजित होगी
1	01 अगस्त से 30 नवम्बर तक	जनवरी
2	01 दिसम्बर से 31 मार्च	मई
3	01 अप्रैल से 31 जुलाई	सितम्बर

अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त कर्मचारियों की असुविधा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि उक्त टंकण परीक्षा केवल कम्प्यूटर पर ही जिला स्तर पर जिला कलक्टर द्वारा गठित परीक्षा आयोजन समिति द्वारा ली जावेगी। जिला स्तर पर परीक्षा आयोजन समिति का गठन निम्नानुसार किया जावेगा–

1. अतिरिक्त जिला कलक्टर –अध्यक्ष
2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर –सदस्य
3. उपखण्ड अधिकारी, जिला मुखयालय –सदस्य

31/2017

....2

अतिरिक्त जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित उपरोक्त समिति द्वारा कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा लिये जाने हेतु एनआईसी या अन्य उचित एजेंसी का सहयोग प्राप्त कर सकेगी। परीक्षा के आयोजन की तिथि का निर्धारण भाषा विभाग द्वारा वर्तमान प्रक्रिया अनुसार ही तैयार किए जायेंगे। प्रश्न पत्र तैयार करना, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करना, परीक्षा परिणाम घोषित करने तथा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को प्रमाण–पत्र जारी करने का कार्य, संबंधित गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

अतः अब आगामी परीक्षा हेतु कार्मिक अपना आवेदन, संबंधित जिला स्तर पर गठित समिति को प्रेषित करेंगे। समिति परीक्षा के आयोजन पर होने वाले व्यय हेतु कोष की व्यवस्था, आवेदन पत्र के साथ प्राप्त होने वाले शुल्क राशि से करेगी।

वर्तमान में भाषा एवं पुस्तकालय विभाग में प्राप्त कम्प्यूटर पर परीक्षा हेतु आवेदन पत्र तथा कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक पत्र 3(1)कार्मिक/क–2/2013 दिनांक 24–6–2016 के अनुसार टाइपराइटर मशीन पर अन्तिम परीक्षा हेतु एक अवसर प्रदान किया गया था। उन सभी कार्मिकों की भी अब टंकण परीक्षा टाईपराईटर पर नहीं ली जाकर, कम्प्यूटर पर ही ली जावेगी।

अतः समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों एवं जिला कलक्टरर्स को व्यादिष्ट किया जाता है कि उक्त दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करे।

(भास्कर ए. सावन्त)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. निदेशक, भाषा विभाग, राजस्थान जयपुर को उपरोक्त दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

21/6/2017
संयुक्त शासन सचिव

31/2017